राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/ 11721–911 दिनांक :– 29/9/17

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :– स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हेतु आवश्यक कार्यो/तैयारियो के सम्बन्ध मे।
सन्दर्भ :– निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 4057 दिनांक 27.01.2017 एवं 7289 दिनांक 11.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रो द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु दिशा निर्देश पूर्व मे जारी किये जा चुके है। दिनांक 18.09.2017 को आयोजित कार्यशाला मे आपको विस्तृत रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 जो कि 4 जनवरी 2018 से शुरू होगा, कि पूर्ण तैयारियो के सम्बन्ध मे बताया जा चुका है।

जैसा कि आपको विदित है, पूर्व के दो स्वच्छ सर्वेक्षण मे राजस्थान कें शहर बेहत्तर स्थान प्राप्त नही कर सके थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मे आवश्यक कार्यवाही कर बेहत्तर रैंक हेतु प्रयास किये जाने आवश्यक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 राज्य की सभी निकायो मे संपादित किया जावेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण आपको भिजवाया जा चुका है। जिसकी सॉफ्ट कॉपी www.swachhbharaturban.gov.in पर हिन्दी एवं अग्रेजी मे उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण आपको जरिये ईमेल भिजवाया जा चुका है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मे जिन बिन्दुओं पर स्वच्छता का आंकलन किया जावेगा उसको तीन भागो मे विभक्त कर पृथक से आंकलन हेतु प्रश्नो का निर्धारण किया गया है, जिनके आधार पर स्कोर दिये जाकर रेकिंग का निर्धारण किया जावेगा। विस्तृत क्रियाविधि गाईड लाईन मे अंकित है।

स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु आपको प्रेषित दिशानिर्देशो को अक्षरशः अध्ययन कर निर्धारित मानदण्डो हेतु आवश्यक तैयारिया तुरन्त प्रभाव से चालू करते हुये self assessment हेतु आप अपने स्तर पर समीक्षा बैठको का आयोजन कर बेहत्तर रेकिंग हेतु प्रयास किये जावें।

स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार करने हेतु विज्ञ अधिकारी / कर्मचारी की ड्यूटी लगाते हुये एक्शन प्लान तैयार कर निदेशालय को विवरण भिजवावे।

अतः आप उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मे बेहत्तर रेकिंग लाने के व्यक्तिगत प्रयास करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/11912 – 12157 दिनांक :– 27/9/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक (स्वच्छता)।
5. निजि सचिव, महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान।
6. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
7. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता